

(नियम 26)

2020/00240

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोंडेंट

श्री किशोर कुमार कच्छवाह पुत्र श्री लाधाजी
जाति कच्छवाहसरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
तहसीलदार आबूरोड़निवासी अग्रसेन नगर डीसा
जिला बनासकांठा गुजरात ।

केसम मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 42 वर्ष 2020

| दिनांक हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 0.08.2020 | <p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोंडेंट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आबूरोड़ को दिनांक 02.12.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ओरिया में श्रील एडवेंचर पार्क को गौचर भूमि किस नियम के तहत उपलब्ध कराई थी आबूपर्वत पर कुल कितने आवासीय भवन एवं अवैध होटल निर्मित है उन्हें तोड़ने हेतु क्या प्रक्रिया जारी है एवं निर्माण हेतु कौन-कौनसी सामग्री लाई जा सकती है से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है ।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आबूरोड़ को दिनांक 02.12.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ओरिया में श्रील एडवेंचर पार्क को गौचर भूमि किस नियम के तहत उपलब्ध कराई थी आबूपर्वत पर कुल कितने आवासीय भवन एवं अवैध होटल निर्मित है उन्हें तोड़ने हेतु क्या प्रक्रिया जारी है एवं निर्माण हेतु कौन-कौनसी सामग्री लाई जा सकती है से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आबूरोड़ को आदेशित किया जाता है कि अपीलांत द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें । यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांत को सूचित करें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।</p> | |

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरौही



290-91
1318/20